

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन— नया रायपुर, 492002

आदेश

रायपुर, दिनांक 16.02.2016

क्रमांक एफ 2-51/2008/नौ/55-तीन ::::: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के ज्ञाप. क्रमांक 272/62/चयन/2015/2, दिनांक 30.12.2015 द्वारा चयनित निम्नलिखित उमीदवारों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी (राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1987 के अंतर्गत व्याख्याता, विभिन्न विषय के पद पर वेतनमान 15600-39100-ग्रेड पे 6000 एवं समय-समय पर देय स्वीकृत भत्तों अंतर्गत नियुक्ति किया जाकर कॉलम नं-5 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

संक्र.	नाम एवं पता	संवर्ग	पद/ विषय	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5
1.	डॉ सुभाष रायभान गरडे, पिता श्री रायभान गरडे, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद विभाग, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर ४०८०	अनारक्षित	व्याख्याता, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०८०
2.	डॉ संगीता भगत पति डॉ चन्द्रपाल भगत, द्वारा डॉ पी.आर.वर्मा ६९ / १४१८, दौलत स्टेट, डंगनिया रायपुर ४०८०	अ.ज.जा.	व्याख्याता, अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४०८०
3.	डॉ बलेन्द्र सिंह, पिता श्री मनरूप सिंह, क्वा. नं. एल. क्यू. १, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर, रायपुर	अनारक्षित	व्याख्याता, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०८०

----2

4.	डॉ० बृजेश सिंह, पिता श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, हरपाल गंज, सिंगरामऊ, बदलापुर जौनपुर, उ०प्र०	अनारक्षित	व्याख्याता, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, छ०ग०
5.	डॉ० उत्तम कुमार निर्मलकर, पिता श्री भगवानदास, वार्ड नं. 12, गोवर्धन नगर, नेवरा तिल्दा, जिला रायपुर छ०ग०	अ०पि०वर्ग	व्याख्याता, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, छ०ग०
6.	डॉ० शतरूपा निर्मल, पिता स्व० श्री विजयेन्द्र प्रसाद, द्वारा श्रीमती गायत्री देवी कन्या आश्रम के पीछे कुसमी पोस्ट कुसमी जिला बलरामपुर छ०ग०	अ.ज.जा	व्याख्याता, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, छ०ग०
7.	डॉ० फेबिन पॉल जोश, पिता श्री जोसकुट्टी, टी०एफ०फैकल्टी क्वा० ८ मंदसौर, इस्ट्रीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन एंड रिसर्च, बी०आर०नाथ फार्मेसी कैम्पस नीमच रोड मंदसौर म०प्र०	अनारक्षित	व्याख्याता पंचकर्म	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, छ०ग०
8.	डॉ० पुरंजन सिंह आर्मौ, पिता स्व० श्री चंदन सिंह आर्मौ, शासकीय आयुर्वेद औषधालय सर्किट हाउस के पास चंदमरी, रायगढ़ जिला रायगढ़ छ०ग०	अ.ज.जा	व्याख्याता, शल्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, छ०ग०
9.	डॉ० विवेक महलवार, पिता श्री गौरीशंकर महलवार, हा०नं. ०९,फैस-२, कबीरनगर रायपुर छ०ग०	अनारक्षित	व्याख्याता प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, छ०ग०
10	डॉ० ठाकुर राकेश सिंह, पिता श्री राजेन्द्र सिंह चौहान प्लाट नं. ८ महादेव घाट चौक, श्रद्धा किराना के पीछे रायपुरा जिला रायपुर छ०ग०	अनारक्षित	व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, छ०ग०

11.	डॉ० छेदीसिंह ओन्टेन, पिता स्व० श्री रामसिंह ओन्टेन, द्वारा इन्दल राम मरकाम, रामकुण्ड पारा, महाराष्ट्र मंडल के पास पुलिस चौकी के बाजू रायपुर जिला रायपुर ४००५०	अ.ज.जा.	व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४००५०
12	डॉ० सस्मिता त्रिपाठी, पति डॉ० मानस रंजन होता, द्वारा नवीन कुमार त्रिपाठी, पोस्ट प्रताप सागर पाडा, जिला बलांगीर, ओडिशा	अनारक्षित	व्याख्याता स्वस्थ्य वृत्त	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४००५०
13	डॉ० नरेन्द्र कुंजाम, पिता श्री दीनदयाल कुंजाम, द्वारा श्री महेन्द्र विजय सोलंकी, ३२० काटजू नगर, रतलाम ४००५०	अ.ज.जा.	व्याख्याता स्वस्थ्य वृत्त	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४००५०
14	डॉ० जगदीश प्रसाद मिश्रा, पिता श्री लक्ष्मीधर मिश्रा, द्वारा व्ही.वाय.डी.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय खुर्जा, बुलंदशहर, ४००५०	अनारक्षित	व्याख्याता शालाक्य तंत्र	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४००५०
15	डॉ० नम्रता तिवारी, पति डॉ० समीश तिवारी द्वारा डॉ० आर०के०अग्रवाल, डॉ० पुष्पराज देवांगन नर्सिंगहोम के सामने, लायस चौक चांपा जिला जांजगीर चांपा ४००५०	अनारक्षित	व्याख्याता रचना शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४००५०
16	डॉ० कविता प्रधान, पिता श्री बलभद्र राम प्रधान, कन्या आश्रम बागबहार, ग्रा. पो. बागबहार जिला जशपुर ४००५०	अ.ज.जा	व्याख्याता रचना शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४००५०
17	डॉ० दिलीप कुमार सिंह, पिता श्री तीरथराम सिदार ग्राम परस्कोल, पो. नवापारा तहसील खरसिया जिला रायगढ़ ४००५०	अ.ज.जा.	व्याख्याता रचना शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४००५०

11411

18	डॉ० विनय भारद्वाज, पिता श्री नरोत्तम शर्मा, आर-३०, गोविन्द नगर, वेस्ट अंबर रोड जयपुर	अनारक्षित	व्याख्याता किया शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४०४०
19	डॉ० अशोक कुमार, पिता श्री देवेन्द्र लाल राम, एल०आई०जी० २३८, सेक्टर-१, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर जिला रायपुर ४०४०	अ.ज.जा.	व्याख्याता किया शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४०४०
20	डॉ० प्रेमा भगत, पिता श्री सुशीलचन्द्र भगत, स्माईल डेन्टल क्लीनिक, भगत पेट्रोल पंप के पास सन्ना रोड जशपुर जिला जशपुर ४०४०	अ.ज.जा.	व्याख्याता किया शरीर	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०
21	डॉ० अखिलेश शुक्ला, पिता श्री एम०पी०शुक्ला, अमृता आयुर्वेद महाविद्यालय, संहिता संस्कृति एवं सिद्धांत विभाग वल्लीकाव पो०आ० क्लापना जिला कोल्लम केरला	अनारक्षित	व्याख्याता संहिता सिद्धांत	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०
22	डॉ० प्रेमा भगत, पिता श्री सुशीलचन्द्र भगत, स्माईल डेन्टल क्लीनिक, भगत पेट्रोल पंप के पास सन्ना रोड जशपुर जिला जशपुर ४०४०	अ.ज.जा.	व्याख्याता संहिता सिद्धांत	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर, ४०४०
23	डॉ० अशोक कुमार, पिता श्री देवेन्द्र लाल राम, एल०आई०जी० २३८, सेक्टर-१, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर जिला रायपुर ४०४०	अ.ज.जा.	व्याख्याता संहिता सिद्धांत	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०
24	डॉ० विवेक कुमार दुबे, पिता श्री रामनयन दुबे, एच.आई.जी. ७२, महाराणाप्रताप नगर कोरबा, ४०४०	अनारक्षित	व्याख्याता रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०

-----5

25	डॉ० विद्याभूषण पाण्डेय, पिता श्री राजाराम पाण्डेय, एफ-३ गवरमेंट क्वार्टर निकट डॉ० मार्कों का निवास, दत्ताआत्रेय कालोनी, गुरुकुल पेन्ड्रारोड, (गौरेला) जिला बिलासपुर ४०४०	अनारक्षित	व्याख्याता कौमार भृत्य	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०
26	डॉ० हीराचंद पटेल, पिता स्व० श्री मधुसूदन पटेल, ग्राम धौराभांठा पो० कोटमी, तह० डभरा जिला जांजगीर-चांपा ४०४०	अनारक्षित	व्याख्याता काय चिकित्सा	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०
27	डॉ० शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता श्री भैयालाल सिंह, ग्राम रांपा पो० खमरौंध तह० भरतपुर जिला कोरिया ४०४०	अ.ज.जा.	व्याख्याता काय चिकित्सा	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर, ४०४०

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

- (क) उम्मीदवार को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- (ग) उपरोक्त उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ अनन्तिम है तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध विपरीत टिप्पणी पायी जायेगी उनकी सेवायें तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

- (घ) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (ङ) चयनित प्रत्याशी को अपना स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सा बोर्ड से देना अनिवार्य होगा।
- 4/ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 13-15/2012/आ.प्र./1/3, दिनांक 12.02.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2011 के विरुद्ध मानो उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रस्तुत याचिका रिट पिटीशन क्रमांक (सी)591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अन्तिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
- 5/ अनारक्षित श्रेणी व्याख्याता किया शरीर की नियुक्ति याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. (एस)4761/2012 में पारित निर्णय के अध्यधीन होगी।
- 6/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान का ध्यान रखा गया है।
- 7/ चयनित उम्मीदवार की वरिष्ठता आयोग द्वारा जारी चयन सूची को आधार मानकर पृथक से निर्धारित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(मुनील विजयवर्गीय)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

रायपुर, दिनांक 16.02.2016

पृ.क. एफ 2-51 / 2008 / नौ/ 55-तीन

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

// 7 //

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 272/62/2015/2, चयन, दिनांक 30.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें रायपुर छ0ग0
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रायपुर छ0ग0
8. संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी(आयुष)रायपुर छ.ग.
9. कलेक्टर, जिला रायपुर/बिलासपुरछ0ग0
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर/बिलासपुर छ0ग0
11. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर/बिलासपुर छ0ग0
12. संबंधित डॉ. नामशीर नायुर्वेद भूविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर
13. संबंधित डॉ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

14. स्टॉक फाईल ।


16/11/16

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग